

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
DEPARTMENT OF DEFENCE  
**RAJYA SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 2451**  
TO BE ANSWERED ON 08<sup>th</sup> August, 2022

**STATUS OF NURSING OFFICERS**

2451 SHRI A. A. RAHIM:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether the nursing officers are given permanent commission, if so, the details thereof and the number of nursing officers on permanent commission;
- (b) whether retired nursing officers are given the title and benefits of ex-servicemen;
- (c) if not, the reasons therefor; and
- (d) whether they used to get pension, if so, till when?

A N S W E R

MINISTER OF STATE  
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

- (a): Yes, Sir. As per the extant policy, 60% of the Nursing Officers are given Permanent Commission. As on 31 July, 2022, out of a total held strength of 4703 Officers there are 2925 Military Nursing Service (MNS) Officers holding Permanent Commission.
- (b) & (c): No, Sir. As per the definition of Ex-servicemen issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions vide Notification No. G.S.R. 757 (E) dated 4<sup>th</sup> October, 2012, MNS Officers are not covered under the definition of Ex-servicemen.
- (d): All Permanent Commissioned MNS Officers retiring after pensionable service of 20 years, as per extant Rules, are granted pension.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2451  
08 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

परिचर्या अधिकारियों का दर्जा

2451. श्री ए.ए. रहीम:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या परिचर्या अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने परिचर्या अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्राप्त है;
- (ख) क्या सेवानिवृत्त परिचर्या अधिकारियों को भूतपूर्व-सैनिक का दर्जा और लाभ प्रदान किया जाता है;
- (ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या उन्हें पेंशन प्राप्त होती थी, यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

- (क) जी, हां। मौजूदा नीति के अनुसार, 60% नर्सिंग अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाता है। 31 जुलाई, 2022 तक 4703 अधिकारियों की कुल धारित संख्या में से 2925 सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्राप्त है।
- (ख) और (ग) जी, नहीं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 757 (ई) दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अनुसार एमएनएस अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- (घ) मौजूदा नियमों के अनुसार, 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले सभी स्थायी कमीशन प्राप्त एमएनएस अधिकारियों को पेंशन दी जाती है।

\*\*\*\*\*

